E-Mail
Date 16/10/26

कार्यालय– भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 12 एवं 13 भा.ना.सु.सं.)

क्रमांक 136 / सीजेएम / 2026 देवास, दिनांक 16.10.2026

1. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क. 1144 / Confdl/2026/II-3-1/2026 जबलपुर, दिनांक 13.10.2026 अनुसार श्री रोहित श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास की पदस्थापना अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास के पद होने के फलस्वरूप, एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व में इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ श्री दशरथ सिंह भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ, श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगॉव की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थ किये जाने से कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है :–

2. कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क. 1 के अनुक्रमांक 1 के पश्चात नवीन अनुक्रमांक **1–अ** एवं अनुक्रमांक 14 में स्तम्भ क. 3 (स) के उपरांत 3(द), अनुक्रमांक 19 में से आरक्षी केन्द्र उदयनगर से संबंधित समस्त प्रविष्टियॉ विलोपित कर अनुक्रमांक 18 में स्तम्भ क. 3(अ), 3(ब) 3(स) के रूप में एवं अनुक्रमांक 20 के स्तम्भ क. 3(ई) के उपरांत 3(एफ) निम्नानुसार समाविष्ट किया जाता हैं :–

अनु.क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1 अ–	श्री रोहित श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास	आरक्षी केंद्र– 1– सिविल लाइन,देवास 2– बरोठा देवास 3– नाहर दरवाजा, देवास 4– विजयागंज मंडी	1. स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारजी प्रकरण।
			2. अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
14	श्री दशरथ सिंह भिड़े, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनकच्छ जिला देवास	3(स) के पश्चात **3(द)** आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, पीपल रॉवा, भौंरासा, मक्सी टोंकखुर्द,	स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के खारजी प्रकरण।
18	सुश्री आयुषी मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली जिला देवास	**3(अ)** आरक्षी केंद्र– उदयनगर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एव

16/10/26
(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास (म.प्र.)

			विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम समस्त प्रकरण।
			1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/ कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधो से संबद्ध।
		3 (ब) आरक्षी केन्द्र– उदयनगर (तहसील न्यायालय क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) मे उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,000/– तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– उदयनगर	स्तम्भ कमांक 3 (स) मे अंकित थाना क्षेत्रो में पुलिस अभिरक्षा के दौरान या उक्त थाना क्षेत्रो से उद्भूत प्रकरणो मे न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध पुरूष/ महिला/ उभयलिंगी बंदी की मृत्यु होने पर द.प्र.स. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
20	सुश्री उषा उईके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौद जिला देवास	3(इ) के उपरांत **3(एफ)** आरक्षी केन्द्र कन्नौद, सतवास कोटाफोड, खातेगॉव हरणमाव, नेमावर	स्तंभ कमांक 3(एफ) मे उल्लेखित आरक्षी केन्द्रो के खारजी प्रकरण।

(भारत सिंह ठाकोर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास (म.प्र.)

3 इसी प्रकार कार्य विभाजन पत्रक के अनुक्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ क्र. 3(ब) के समक्ष स्तम्भ क्र. 4 मे उल्लेखित कंडिका (छ) **संपूर्ण देवास जिला क्षेत्रांतर्गत खारजी प्रकरण** वाक्यांश को विलोपित कर उसके स्थान पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली देवास, बैंक नोट प्रेस देवास एवं औद्योगिक क्षेत्र देवास, बागली, हाटपीपल्या, उदयनगर एवं कन्नौद, संशोधन समाविष्ट किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस देवास एवं औद्योगिक क्षेत्र, देवास के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास द्वारा किये जाने संबंधित संशोधन समाविष्ट किया जाएगा।

4. कार्य विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्र. 27 की कंडिका 19 के पश्चात कंडिका 20 निम्नानुसार समाविष्ट की जाती है :–

भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2 खण्ड–1, नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, 06 अगस्त, 2026 में जारी निर्देशानुसार दो वर्ष से अधिक की देरी से जन्म या मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वारा उनका निराकरण किया जाएगा।

16/10/26

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास (म.प्र.)

<u>माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित</u>

अनुमोदित,

16.10.2026

(कपिल मेहता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

CamScanner